

सर्वेक्षण कार्य हेतु।

दिल्लीया इन फर्निचर पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था नए होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नुकसान उत्पन्न नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में गौ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को कबली होगी।

दिल्लीया इन फर्निचर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कन्डिशनिंग प्रवेश होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कन्डिशनिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संस्था का अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-सूचना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।

संस्था को विद्यार्थी-प्रतिपालन हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध करने के साथ रेजिंंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

नर यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निदेशाथ समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।

संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, इन्फ्रस्ट्रक्चर, उपकरण एवं अन्य राज-सूचना एण्डआईसीटीआईपीसीआईपरिषद के मातृसंस्था उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

0880-राजिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

निदेश:-

पता: दिल्ली, AZAD COLLEGE OF EDUCATION, VILL-SHAKA JANVARA POST-MJISANAGAR TEHSIL-HATAMPUR, KANPUR-205209



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

✓ **Consent to publish** in this journal entails the author's irrevocable and exclusive authorization of the publisher to collect any sums or charges for copying or reproduction payable by third parties (as mentioned in article 17, paragraph 2, of the Dutch Copyright Act of 1912 and in the Royal Decree of June 20, 1974 (S. 351) pursuant to article 16b of the Dutch Copyright Act of 1912) and/or to act in or out of court in connection therewith.



(Author's name)

Office

Date: 12-09-2023

ajgpc-ajgpc@ajgpc.org 2023-12050000-12091230

ajgpc

www.ajgpc.org AZAD COLLEGE OF EDUCATION



(Author's name)

Office